न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/31/2017	04–01–2017	19–12–2018

1–सुदेश कुमार पुत्र घनश्याम दास जाति महाजन निवासी बहरोड़ तहसील बहरोड़।
2–श्रीमति संतोष देवी पत्नी श्री सुदेश कुमार जाति महाजन निवासी बहरोड़ तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–तहसीलदार, बहरोड़ तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 31.12.2001 नामान्तकरण संख्या 787 ग्राम बहरोड़ तरफ डूंगरसी तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

उपस्थितः–
01 श्री देवेन्द्र कुमार जैन –वकील अपीलान्टस

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 31.12.2001 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 787 ग्राम बहरोड़ तरफ डूंगरसी तहसील बहरोड़, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 15.09.2017 को हुई। पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि इंतकाल संख्या 787 भूमि रूपांतरण का दिनांक 31.12.2001 को स्वीकृत हो चुका है। जिसकी नकल का प्रार्थना–पत्र लगाया गया, जो नकल दिनांक 25.09.2017 को प्राप्त हुई। दिनांक 29.09.2017 को बिना देरी के अपील पेश की गयी। दिनंका 31.12.2001 से दिनांक 15.09.2017 तक का समय जानकारी के अभाव में व्यतित हुआ है, जिसे माफ करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया गया। अपीलांट ने खसरा नम्बर 270 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम बहरोड़ तरफ़ डूंगरसी का 192/700 हिस्सा गजराज सिंह पुत्र रामजीलाल अहीर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06.03.2000 के द्वारा खरीद की गई थी। जिसका रूपांतरकरण सहायक जिलाधीश बहरोड को प्रस्तुत किया। जिसको नगर पालिका बहरोड की रिपोर्ट के अनुसार भूमि रूपांतरण किया गया। प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका बहरोड व सहायक जिलाधीश बहरोड ने दिनांक 30.03.2001 को खसरा नम्बर 270 रकबा 231 वर्गगज में खातेदारी अपीलांट का समर्पणनामा स्वीकार करते हुए भूमि रूपांतरण फीस प्राप्त करके पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया जो उप–पंजीयक बहरोड के द्वारा दिनांक 14.03.2002 को पंजीबद्ध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दस्तावेजात पर गौर किये बिना इंतकाल संख्या 787 दिनांक 31.12.2001 को स्वीकार कर दिया। विवादित आराजी आवासीय व व्यवसायिक कार्य के लिए रूपांतरित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा आवासीय काट दिया गया, इंतकाल संख्या 787 के कॉलम संख्या 12 पर बारानी उत्तम किस्म लिख दी जबकि आराजी की किस्म आवासीय व व्यवसायिक में परिवर्तित हो चुकी थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बहरोड का निर्णय दिनांक 31.12.2001 बाबत इंतकाल संख्या 787 वाके ग्राम बहरोड तरफ डूंगरसी तहसील बहरोड निरस्त किया जावे व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

खसरा नम्बर 270 रकबा 0.07 है0 के 192/700 (231 वर्गगज) हिस्से की किस्म बारानी उत्तम के स्थान पर गैरमुमकिन आबादी/व्यवसायिक अंकित करते हुए पट्टा विलेख दिनांक 14.03.2002 पर गौर करते हुए इंतकाल का निस्तारण फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 31.12.2001 के विरूद्ध दिनांक 29.09.2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 16 वर्ष से अधिक समय विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार बहरोड़ द्वारा इंतकाल दर्ज व स्वीकृत करते समय किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)